मान्नीय न्यायालय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट जिला रीवा (म0प्र0)

पुनरीक्षण आवेदन पत्र क्र0   / निग0 / 2016–17

1. श्रीमती अमोलिया बेवा पत्नी स्व0 रामफल उपाध्याय
2. नागेश्वर प्रसाद उपाध्याय पिता स्व0 रामफल उपाध्याय
3. श्रीमती उर्मिला पत्नी स्व0 रामदास उपाध्याय
4. श्री शीतला प्रसाद उपाध्याय तनय स्व0 रामदास उपाध्याय
5. श्री संतोष कुमार उपाध्याय तनय स्व0 रामदास उपाध्याय

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बहेरा लखनखोरिहान, थाना गढ़, तहसील मनगवां, जिला रीवा (म0प्र0)

——आवेदकगण / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. राज्य शासन म0प्र0 वास्ते मृतक भूमिस्वामी स्व0 श्री इन्द्रमणि प्रसाद उपाध्याय तनय जीवनशरण ब्रा0
2. राजेश कुमार तनय राममणि उपाध्याय
3. सतानन्द तनय रामसिया उपाध्याय
4. राममणि तनय जीवनशरण उपाध्याय
5. रामसिया तनय जीवनशरण उपाध्याय

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बहेरा लखनखोरिहान, थाना गढ़, तहसील मनगवां, जिला रीवा (म0प्र0)

——अनावेदकगण / गैरपुनरीक्षणकर्ता

आवेदन पत्र / पुनरीक्षण पत्र विरु0 आदेश नायब तहसीलदार सर्किल गढ़, तहसील मनगवां, राजस्व प्रकरण क्र0–01 / ए–6 / 09–10 में पारित आदेश दिनांक 21.10.16 एवं 09.11.16 बावत् दिये जाने आदेश वर्तमान स्थिति में प्रारम्भ

प्रकरण को प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त करने अथवा विधिक वारिसानों को पक्षकार संयोजित करने प्राथमिक प्रक्रिया वैधानिक ढंग से प्रारंभ करने के पश्चात् उभयपक्षीय सुनवाई कर विधिवत आदेश पारित करने बावत् तथा अग्रिम कार्यवाही रोंके जाने के सम्बन्ध में।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50/32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

पुनरीक्षण आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैः–

1. यह कि उक्त विवादित प्रकरण इसी तरह से पूर्व में तत्कालीन आवेदकगण वर्तमान अनावेदकगण क्र0–2 एवं 3 राजेश एवं सतानन्द के द्वारा अन्य आवश्यक व हितबद्ध पक्षकारों अर्थात् आवेदकगणों एवं अन्य अनावेदकगणों को पक्षकार संयाजित किये बिना ही एक मात्र मृतक व्यक्ति इन्द्रमणि प्रसाद के विरुद्ध वाद पत्र नामांतरण हेतु अन्तर्गत धारा 109/110 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता का नायब तहसीलदार मनगवां के समक्ष प्रस्तुत कर एकपक्षीय नामांतरण राजस्व प्रकरण 1/अ–6/09–10 आदेश दिनांक 30.11.09 एकपक्षीय अपने नाम करा दिया गया था, जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया अवैधानिक थी। आवेदकगणों एवं अन्य आवश्यक पक्षकारों को अपना पक्ष समर्थन करने अवसर नहीं दिया गया था, सम्बन्धित न्यायालय भी बिना कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये वाद पत्र को मृतक व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कर लिया था तथा आवेदकगणों के षड़यंत्र में शामिल होकर अवैधानिक ढंग से नामांतरण का आदेश 30.11.09 को पारित कर दिया था, उस समय भी इस्तहार का विधिवत प्रकाशन नहीं कराया गया था और चोरी छिपे गवाहों के अधिकथन भी पेशी रहित दिनांक 20.10.09 को अंकित कराकर शामिल प्रकरण कराते हुये एक फर्जी वसीयतनामा के आधार पर स्व0 श्री इन्द्रमणि प्रसाद के

नागेश्वर प्रसाद

226

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक RSS17-III/16 जिला रीवा

अमोलिया उपाध्याय विरूद्ध शासन, मध्य मौ.

1	2	3
17-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री काशीप्रसाद दुबे अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~/ नायब तहसीलदार तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 01/अ-6/09-10 में पारित आदेश दिनांक 21-10-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-3-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

बावत् दिये जाने आदेश वर्तमान स्थिति में प्रारम्भ

नाग 2425 5/1/19